

# फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा


फत्ता पुत्र हजारी जी रेगर निवासी अमरगढ़  
बनाम

दुर्गा पुत्र मगना रेगर निवासी अमरगढ़ वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 35 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी ह्ये
03-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ   प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया   प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम अमरगढ़ प.ह. अमरगढ़ आराजी सं. 10/3 कुल कित्ता 01 रकबा 1.5120 हेक्टेयर भूमि स्थित है   अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है   अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें   प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है  </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी   पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है   प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है   ग्राम अमरगढ़ प.ह. अमरगढ़ आराजी सं. 10/3 कुल कित्ता 01 रकबा 1.5120 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरगढ़ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है   कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे   पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें   पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें   तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं   पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें  </p> <p>आदेश आज दिनांक 03/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p>	

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकाारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कगान/रीडर/2024/35/2024

दिनांक: 03/04/2024

निगिहत्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय - प.सं. 35 / 2024 फलता पुर हजारी जी रेगर निवासी अमरगढ बनाम दुर्गा पुर गगना रेगर निवासी अमरगढ, अमरा पुर हरजी रेगर निवासी अमरगढ, छीतर पुर हरजी रेगर निवासी अमरगढ, अमू पुर पीयू तेसी निवासी अमरगढ, सुशीला पदनी मैलशा रेगर निवासी अमरगढ, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में गाम-अमरगढ प.ह. अमरगढ आराजी सं. 10/3 कुल किता 01 रकबा 1.5120 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरगढ को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर पीसा 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्राथी मौके पर अदा करेगा, उनसे से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योग में पेश करे।

उपखण्ड अधिकाारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा